बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6 / एन–08–07 / 2019............ / पटना–15, दिनांक–

राज्य के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में नर्सिंग शिक्षा हेतु मान्यता प्राप्त ए0एन0एम0 / जी0एन0एम0 / बी0एस0सी0 (नर्सिंग) एवं पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। नियमानुकूल संस्थान का संचालन नहीं किये जाने के संबंध में यदा–कदा शिकायत प्राप्त होते रहती है। नर्सिंग स्कूल / संस्थान का निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि कुछेक कमियाँ सामान्य रूप में पायी गई हैं, यथा अभिलेखों का संधारण संस्थान में नहीं किया जा रहा तथा शिक्षण कर्मियों का बिना कारण के अनुपस्थित पाया जाना। राज्य सरकार नर्सिंग शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रतिबद्ध एवं सतत् प्रयासरत है। इसके निमित राज्य के निजी क्षेत्र में संचालित मान्यता प्राप्त सभी नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूलों / संस्थानों के लिए निम्नवत् दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है :–

1. वर्षवार नामांकित प्रशिक्षणार्थियों एवं शैक्षणिक कर्मियों का नाम, पता एवं फोटो उक्त नर्सिंग संस्थान / स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे तथा बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना के वेबसाईट www.bnrcpatna.com पर **दिनांक–31.05.2019** तक अपलोड भी करेंगे।
2. नर्सिंग स्कूल / संस्थान से संबंधित समस्त अभिलेखों का संधारण उक्त संस्थान में किया जाना अनिवार्य है। निरीक्षण के समय विशेषज्ञ समिति द्वारा किसी भी प्रकार का अभिलेख की मांग करने पर उक्त अभिलेख को दिखाया जायेगा एवं समिति द्वारा उसकी प्रति मांग किये जाने पर छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
3. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सामान्य / सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त दिनों में स्कूल / संस्थान का खुला रहना अनिवार्य है। निरीक्षण के समय यदि स्कूल बंद पाया जाता है तो यह माना जायेगा कि स्कूल का संचालन नहीं हो रहा है। यदि विशेष परिस्थिति में स्कूल को निर्धारित तिथि के लिए बन्द करना आवश्यक हो तो इसके लिए निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से पूर्वानुमति अनिवार्य होगा।

4. सभी नर्सिंग स्कूल/संस्थान **दिनांक–15.06.2019 तक** अपना वेबसाईट डेवलप भी कर लेगें तथा उसकी सूचना निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को देंगें। उक्त वेबसाईट पर नर्सिंग स्कूल से संबंधित नामांकित वर्षवार प्रशिक्षणार्थियों, शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक कर्मी, स्कूल एवं संचालक ट्रस्ट/सोसाईटी का नाम, पूरा पता, दूरभाष संख्या आदि अपलोड करेंगे।

5. यह निदेश प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के अनुमोदन से निर्गत किया जा रहा है।

ह0/–
(डॉ0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 631(6) पटना, दिनांकः– 17/05/2019

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित है कि डाटा अपलोड हेतु वेबसाईट पर लिंक तैयार किया जाय।

प्रतिलिपिः–सभी मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल/संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को आम सूचनार्थ विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/5/19
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।